न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी.(पी.ए.) एक्ट, सुलतानपुर।

उपस्थितः राकेश पाण्डेय {उच्चतर न्यायिक सेवा}

(जे0ओ0 कोड नम्बर 2397)

****

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1542/2026

UPST010049932026

विजय प्रताप द्विवेदी पुत्र उमाशंकर दूबे, निवासी ग्राम दादूपुर, थाना दोस्तपुर, जनपद सुलतानपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0राज्य .....विपक्षी/अभियोगी

मुकदमा अपराध सं0 356/2014,
अन्तर्गत धारा 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता एवं
3(1)(10) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
थाना दोस्तपुर, जनपद सुलतानपुर।

दिनांक 06.06.2026

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त विजय प्रताप द्विवेदी के द्वारा मुकदमा अपराध सं0 356/2014, अन्तर्गत धारा 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता एवं 3(1)(10) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, थाना दोस्तपुर, जनपद सुलतानपुर में जमानत प्राप्त करने हेतु दिया गया है। प्रार्थना पत्र, शपथपथ से समर्थित है।

2. अभियोजन का संक्षेप कथानक यह है कि दिनांक 18.09.2014 को समय 6 बजे शाम को उमाशंकर दूबे, विजय प्रताप व और दो लोग अज्ञात मोटर साइकिल से सवार होकर नरायनपुर कलां तराहे पर वादी को लात घूसों से मारने लगे और जाति सूचक शब्द चमार सियार कहने लगे और कहे कि अगर बोलोगे तो जान से मार दूंगा और असलहा दिखाते हुए फरार हो गये।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है, कथित अभियोग में रंजिशन फंसाया गया है। प्रार्थी की तरफ से न्यायालय श्रीमान जी में प्रस्तुत यह प्रथम प्रार्थना पत्र जमानत न तो न्यायालय श्रीमान जी में दिया गया है और न ही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष विचाराधीन ही है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही प्रार्थी को किसी मुकदमें में सजा ही हुई है। प्रार्थी का कोई पूर्व दोषसिद्ध आपराधिक इतिहास नहीं है। इन्हीं कथनों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. वादी मुकदमा को नोटिस का तामिला प्राप्त है बहस के दौरान वादी मुकदमा न्यायालय केसमक्ष उपस्थित नहीं आया।

5. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना

पत्र का विरोध किया गया एवं जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष (फौजदारी) लोक अभियोजक के तर्कों को सुना व पत्रावली का परिशीलन किया गया।

6. प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा को लाठी–डण्डा, कुल्हाड़ी आदि से मारपीटकर गम्भीर चोटें पहुंचाये जाने तथा उन्हें जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए भद्दी–भद्दी गालियों देने व जान–माल की धमकी दिये जाने का अभियोग है। है। कथित घटना में वादी मुकदमा को चोटें आना कहा गया है। पत्रवाली में चोटहिल की आघात आख्या दाखिल है। चिकित्सक की राय में चोटहिल को आयी चोटें साधारण प्रकृति की है। अभियोजन द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास प्रस्तत नहीं किया गया है। विवेचना के पश्चात् आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। गवाहों को डराये / धमकाये जाने की कोई युक्तियुक्त सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। अतः प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में वाद के गुण–दोष पर अन्य कोई टिप्पणी किए बगैर, अभियुक्त उपरोक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त विजय प्रताप द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0 30,000/– रूपये की एक प्रतिभू तथा समान धनराशि के निजी बंधपत्र न्यायालय में दाखिल करने पर निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये–

1. प्रार्थी/अभियुक्त अध्याय 33 दण्ड प्रक्रिया संहिता/35 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार न्यायालय में हाजिर होगा।
2. प्रार्थी/अभियुक्त उस अपराध जैसा, जिसको करने का उन पर अभियोग या संदेह है, कोई अपराध नहीं करेंगा।
3. प्रार्थी/अभियुक्त उस मामलें के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नष्ट नहीं करेगा।
4. प्रार्थी/अभियुक्त नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा और विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

ह0
(राकेश पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश,
एस0सी0/एस0टी0(पी0ए0) एक्ट,
सुलतानपुर।
(जे0ओ0 कोड नम्बर 2397)

<u>दिनांक 06.06.2026</u>

(स्टेनो सुधीर सिंह)